भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न सं. 2196#
गुरुवार, 7 अगस्त, 2025/16 श्रावण, 1947 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

देश भर में पर्यटन स्थलों पर बढ़ती पर्यटकों की संख्या

2196# डा. भीम सिंह:
डा. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि देश भर के पर्यटन स्थलों पर भारी संख्या में पर्यटकों का आगमन हो रहा है जिसके कारण दिन-प्रतिदिन इन स्थलों का प्रबंधन कठिन होता जा रहा है और इन स्थलों पर तथा वहां तक जाने वाले मार्गों पर अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन और सर्वेक्षण कराया है, यदि हाँ, तो पिछले पाँच वर्षों में पर्यटकों की सख्या में कितनी वृद्धि हुई है तथा प्रमुख स्थलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश भर के पर्यटन स्थलों पर बढ़ते पर्यटकों की भीड़ को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए सरकार की क्या योजनाएँ/नीतियाँ हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (ग): गंतव्य प्रबंधन सहित पर्यटन स्थलों और उत्पादों का विकास और संवर्धन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है।

पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन स्थलों पर भीड़भाड़ के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं कराया है। हालाँकि, मंत्रालय अपनी स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी2.0) योजना और स्वदेश दर्शन 2.0 की 'चुनौती आधारित गंतव्य विकास' नामक एक उप-योजना के तहत, राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को स्थायी पर्यटन स्थलों के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

एसडी 2.0 योजना विभिन्न परियोजनाओं में स्थायी और जिम्मेदारीयुक्त पर्यटन कार्यपद्धतियों के कार्यान्वयन पर बल देती है और पर्यावरणीय स्थिरता, सामाजिक-

सांस्कृतिक स्थिरता और आर्थिक स्थिरता सहित स्थायी पर्यटन के सिद्धांतों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। एसडी 2.0 और सीबीडीडी योजनाओं के तहत स्वीकृत कई परियोजनाओं में स्थायी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सीसीटीवी, पाथवे, प्रतीक्षा क्षेत्र, इको-पारिस्थितिक-विश्राम स्थल, बायो-टॉयलेट, अपशिष्ट प्रबंधन तथा रीसाइक्लिंग, पर्यावरण अनुकूल परिवहन, सौर प्रकाश व्यवस्था, पार्किंग आदि तथा उनकी वहन क्षमता प्रबंधन जैसे कई घटक शामिल हैं।

भारत सरकार ने 'पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (एसएएससीआई)' योजना के अंतर्गत देश में 40 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनके प्रस्ताव राज्य सरकारों द्वारा तैयार किए गए थे। इस योजना के अंतर्गत, मंत्रालय ने राज्य सरकारों को डीपीआर के एक हिस्से के रूप में भौतिक वहन क्षमता और उसे सीमित करने वाले कारकों का आकलन करने के बाद अंतिम वहन क्षमता की गणना करने की सलाह दी।

भारत को स्थायी और जिम्मेदारीयुक्त पर्यटन के लिए एक पसंदीदा वैश्विक गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने स्थायी पर्यटन के लिए एक राष्ट्रीय कार्यनीति भी तैयार की है।

मंत्रालय ने 'ट्रैवल फॉर लाइफ' कार्यक्रम भी शुरू किया है, जिसका उद्देश्य पर्यटकों और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को स्थायी पर्यटन कार्यपद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

इसके अलावा, मंत्रालय संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त जानकारी के आधार पर विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में घरेलू और विदेशी पर्यटकों की यात्राओं (डीटीवी और एफटीवी) से संबंधित आंकड़े संकलित करता है। पिछले पाँच वर्षों के डीटीवी और एफटीवी के राज्यवार आंकड़े **अनुबंध** में दिए गए हैं।

*****

अनुबंध

डा. भीम सिंह और डा. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा देश भर में पर्यटन स्थलों पर बढ़ती पर्यटकों की संख्या के संबंध में दिनांक 07.08.2025 को पूछे जाने वाले राज्य सभा के लिखित प्रश्न सं. 2196# के भाग (क) से (ग) के उत्तर में **विवरण**

वर्ष 2019-2024 के दौरान राज्य-वार घरेलू और विदेशी पर्यटकों की यात्राएं (डीटीवी और एफटीवी)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		डीटीवी	एफटीवी	डीटीवी	एफटीवी	डीटीवी	एफटीवी	डीटीवी	एफटीवी	डीटीवी	एफटीवी	डीटीवी	एफटीवी
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	5,05,398	16,206	1,91,207	5,412	1,26,238	1,687	2,35,061	4,461	3,23,189	9,025	7,10,397	11,497
2	आंध्र प्रदेश	23,70,51,508	2,80,356	7,08,28,590	67,591	9,32,77,569	27,551	19,27,16,721	1,65,845	25,47,06,328	60,426	29,02,66,452	2,62,431
3	अरुणाचल प्रदेश	5,55,639	7,825	42,871	961	1,02,915	182	2,22,437	1,055	10,40,601	3,816	8,69,912	4,210
4	असम	54,47,805	26,878	12,66,898	7,285	14,09,161	536	83,82,003	9,001	76,12,720	23,818	76,08,169	27,170
5	बिहार	3,39,90,038	10,93,141	56,38,024	3,08,080	25,01,193	1,046	2,53,30,364	86,829	8,15,85,701	5,46,576	6,54,63,304	7,36,720
6	चंडीगढ़	15,63,795	44,132	4,17,953	12,218	2,28,809	5,451	30,27,165	28,439	3,65,591	31,498	9,98,605	39,058
7	छत्तीसगढ	1,73,04,506	6,817	28,10,227	2,322	47,47,417	8	2,36,36,291	238	2,60,22,069	953	3,14,87,900	3,485
8	दादरा नगर हवेली और दमन और दीव	15,16,134	7,369	4,02,395	1,604	6,61,222	185	7,99,602	1,791	10,04,327	4,049	13,58,901	2,626
9	दिल्ली	3,64,67,598	29,83,436	95,83,671	6,81,230	1,06,42,477	1,00,178	2,71,86,209	8,15,713	3,94,14,622	18,28,116	4,62,57,000	19,99,410
10	गोवा	71,27,287	9,37,113	32,58,715	3,02,751	33,08,089	22,128	70,11,992	1,74,799	81,75,460	4,52,692	99,41,286	4,67,911
11	गुजरात	5,88,64,661	5,95,607	1,94,64,517	2,10,047	2,45,25,210	11,319	13,58,11,325	17,77,215	17,80,66,579	28,06,871	18,40,14,075	22,74,477
12	हरियाणा	45,49,017	48,046	21,14,731	17,474	20,25,450	4,578	21,08,496	2,439	20,12,162	1,346	18,92,251	1,265
13	हिमाचल प्रदेश	1,68,29,231	3,82,876	31,70,714	42,665	56,32,270	4,932	1,50,70,944	29,333	1,59,42,118	62,806	1,80,41,929	82,765
14	जम्मू एवं कश्मीर	1,61,63,330	57,920	25,19,524	5,317	1,13,14,920	1,650	1,84,99,332	19,985	2,06,79,336	55,337	2,35,24,629	65,452
15	झारखंड	3,55,80,768	1,76,043	25,74,704	490	33,83,642	1,637	3,82,84,379	1,92,319	3,57,76,102	1,89,261	5,40,40,789	45,273
16	कर्नाटक	22,79,34,714	6,08,754	7,74,53,339	1,65,325	8,13,33,659	72,487	18,24,13,203	1,28,520	28,41,20,502	4,09,333	30,45,63,569	4,85,204
17	केरल	1,83,84,233	11,89,771	49,88,972	3,40,755	75,37,617	60,487	1,88,67,414	3,45,549	2,18,71,641	6,49,057	2,22,46,989	7,38,374
18	लक्षद्वीप	6,985	820	3,462	413	13,500	4	22,844	125	45,796	755	67,430	898
19	मध्य प्रदेश	8,87,07,139	3,27,958	2,35,19,632	99,819	2,55,54,067	41,601	3,58,48,781	2,04,454	11,19,46,409	1,82,685	13,31,76,410	1,67,535
20	महाराष्ट्र	14,92,94,703	55,28,704	3,92,34,591	12,62,409	4,35,69,238	1,85,643	11,12,97,624	15,11,623	16,13,59,527	33,87,739	18,93,71,541	37,05,170

21	मणिपुर	1,67,560	13,608	49,669	3,139	49,371	648	1,39,518	3,908	57,701	3,668	29,102	2,518
22	मेघालय	12,45,633	25,813	24,734	2,311	1,54,409	411	9,37,091	7,774	13,71,674	19,973	14,02,624	20,023
23	मिजोरम	1,63,762	2,249	30,890	265	87,232	234	2,18,420	2,611	2,15,230	3,884	5,18,873	5,911
24	नागालैंड	1,25,949	5,577	10,979	518	23,968	325	97,431	2,923	99,720	4,725	1,25,516	5,623
25	ओडिशा	1,53,07,637	1,15,128	46,22,273	10,206	37,42,221	2,269	78,67,909	22,121	97,25,184	45,173	1,09,98,819	53,392
26	पुदुचेरी	17,13,248	1,49,919	11,14,942	92,080	12,53,213	321	17,60,480	862	20,92,076	31,214	21,19,792	17,819
27	पंजाब	4,73,85,387	11,01,343	1,66,92,197	3,59,114	2,66,40,429	3,08,135	2,60,89,425	3,29,458	3,57,07,600	7,41,734	2,77,45,183	5,41,784
28	राजस्थान	5,22,20,431	16,05,560	1,51,17,239	4,46,457	2,19,88,734	34,806	10,83,28,156	3,96,684	17,90,51,925	16,99,869	23,00,84,198	20,72,407
29	सिक्किम	14,21,823	1,33,388	3,16,408	19,935	5,11,669	11,508	16,25,573	68,645	13,21,169	93,908	15,40,421	84,820
30	तमिलनाडु	49,48,65,257	68,66,327	14,06,51,241	12,28,323	11,53,36,719	57,622	21,85,84,846	4,07,126	28,60,11,515	11,74,899	30,68,42,014	11,61,302
31	त्रिपुरा	4,37,201	1,54,405	1,27,815	31,877	1,77,816	5	2,35,600	8,493	3,66,104	66,708	6,00,651	1,02,624
32	तेलंगाना	8,30,35,894	3,23,326	3,99,97,001	46,694	3,20,00,620	5,917	6,07,48,425	68,401	5,84,47,573	1,60,912	8,82,39,675	1,55,313
33	उत्तर प्रदेश	53,58,55,162	47,45,181	8,61,22,293	8,90,932	10,97,08,435	44,737	31,79,13,587	6,48,986	47,85,25,688	16,01,503	64,68,07,146	23,64,996
34	उत्तराखंड	3,75,85,920	1,52,273	70,05,264	41,339	1,94,34,475	8,532	5,46,42,559	61,561	5,94,88,189	1,48,412	5,93,73,869	1,76,408
35	पश्चिम बंगाल	9,23,66,025	16,56,145	2,88,41,732	4,63,285	2,43,25,984	34,828	8,45,42,195	10,37,017	14,56,69,292	27,06,942	18,44,75,527	31,24,462
36	लद्दाख	2,41,285	38,652	6,743	1,126	3,03,023	1,054	5,10,137	21,259	4,89,059	36,315	3,36,682	39,704
	कुल	**2,32,19,82,663**	**3,14,08,666**	**61,02,16,157**	**71,71,769**	**67,76,32,981**	**10,54,642**	**1,73,10,13,539**	**85,87,562**	**2,51,07,10,479**	**1,92,45,998**	**2,94,71,41,630**	**2,10,50,037**

*****